



# दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी. नं.: 01/2026/पीबी-1

## रिक्ति सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण पात्र अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:

**7वें सीपीसी के अनुसार लेवल-12 में निदेशक (मिनिस्ट्रियल) - 01 पद**

वे अधिकारी जो केंद्र/राज्य सरकार में सदृश पद पर कार्यरत हों या जिनके पास 5 वर्ष नियमित सेवा हों, लेवल-11 (7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स) में कार्यरत हों या समकक्ष हों, तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बैचलर) डिग्री रखते हों।

पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। विस्तृत जानकारी (पात्रता मानदंड, आवेदन प्रारूप, नियम एवं शर्तें आदि) हेतु डीडीए की वेबसाइट देखें: <https://dda.gov.in/latest-jobs>। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **03.05.2026** है।

आयुक्त (कार्मिक)

अधिक जानकारी के लिए [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) या हेल्पलाइन नं. 1800110332 डायल करें

हमें यहाँ फॉलो करें: [f @ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [X @official\\_dda](https://www.x.com/official_dda) [@official\\_dda\\_](https://www.instagram.com/official_dda)



## शक्ति सूचना

**विषय:-** डीडीए में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (7वें सीपीसी के अनुसार) में निदेशक (मिनिस्ट्रियल) के 01 पद को भरना।

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (7वें सीपीसी के अनुसार) में निदेशक (मिनिस्ट्रियल) के 01 पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए डीडीए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। पात्रता मानदंड एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी:

**निदेशक (मिनिस्ट्रियल) पद हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड:**

"केंद्रीय / राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जो अपने मूल विभाग / कैंडर में समान पद पर नियमित आधार पर कार्यरत हों, अथवा वे अधिकारी जिन्होंने 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 या समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री रखते हों।"

**सामान्य शर्तें:**

1. प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में तीन वर्ष की होगी, जिसे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, डीडीए के विवेकाधिकार पर इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
2. प्रतिनियुक्ति की शर्तें डीओपीटी के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन एवं समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार लागू होंगी।
3. आवेदन की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन, अपने मूल विभाग / संगठन के कैंडर नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में "नियोक्ता / कैंडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन" संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
5. पदों की संख्या डीडीए की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनीय है।
6. इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों के आवेदन संबंधित कैंडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित किए जाएं, जिसमें कैंडर क्लियरेंस, विजिलेंस क्लियरेंस, संलग्न पत्र में विस्तृत बायोडाटा, जो विधिवत सत्यापित और प्रतिहस्ताक्षरित हो, पिछले 10 वर्षों में लगाए गए लघु एवं प्रमुख दंडों का विवरण तथा पिछले 5 वर्षों के सीआर डोजियर शामिल होंगे।
7. आवेदक को अपने मूल विभाग में धारित पद एवं उसके वेतन स्तर का उल्लेख करना होगा, जो केंद्र सरकार के वेतनमान (6वें एवं 7वें सीपीसी) के अनुरूप हो। एसीपी / एमएसीपी / एनएफयू के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का विवरण भी स्पष्ट रूप से देना होगा।
8. आवेदक के वर्तमान पद की जिम्मेदारियां डीडीए के निदेशक (मिनिस्ट्रियल) पद की जिम्मेदारियों के समान होनी चाहिए। इस पद से संबंधित कार्य मुख्यतः मंत्रिस्तरीय होंगे, जैसे भूमि एवं निर्मित संपत्तियों का आवंटन, संपत्तियों का फ्रीहोल्ड में परिवर्तन, कार्मिक प्रबंधन, मानव संसाधन, भूमि प्रबंधन, राजस्व, सतर्कता मामले, लैण्ड पूलिंग, अनधिकृत कॉलोनीयों में स्वामित्व अधिकार प्रदान करना आदि।
9. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. अधिकारियों की नियुक्ति केवल प्रतिनियुक्ति (स्थानांतरण) के आधार पर होगी और समायोजन (Absorption) के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. पात्रता का निर्धारण आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर किया जाएगा।
12. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 03.05.2026 तक आयुक्त (कार्मिक), दिल्ली विकास प्राधिकरण, ई-1, विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023 के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। अपूर्ण या विलंबित आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(विनीत जैन)

आयुक्त (कार्मिक)

अधिक जानकारी के लिए [www.dda.gov.in](http://www.dda.gov.in) या हेल्पलाइन नं. 1800110332 डायल करें

हमें यहाँ फॉलो करें: [@ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [@official\\_dda](https://twitter.com/official_dda) [@official\\_dda](https://www.instagram.com/official_dda)